

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Email: principal_gncmohla@rediffmail.com

फोन. 07747-249120


क्रमांक / /2015

मोहला, दिनांक 07 / 10 / 2015

// आदेश //

सचिव छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/194/ दिनांक 01/08/2015 एवं अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/3653/3854/2014/38-1 दिनांक 14/09/2014 तथा संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/444/138/आरशि के परिपालन में महिला लैंगिंग उत्पीड़न निवारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	नामांकित सदस्य
1	डॉ.श्रीमती बी.एन.मेश्राम (प्राचार्य)	संयोजक/अध्यक्ष
2	डॉ.जी.पी.जायसवाल (सहा.प्राध्या.)	प्रभारी अधिकारी
3	डॉ.जी.के.जोशी (सहा.प्राध्या.)	सदस्य
4	श्री टी.एल.मिर्झा (सहा.प्राध्या.)	सदस्य
5	श्रीमती सुरेखा मंडावी (समाजसेवी)	सदस्य
6	कु. रूखमणी साहू (अतिथि व्याख्या.)	सदस्य


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/482/2015

मोहला, दिनांक 07/10/2015

प्रतिलिपि :-

- (1) अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
- (2) संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
- (3) कलेक्टर राजनांदगांव
- (4) प्राचार्य (अग्रणी) शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव
- (5) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजनांदगांव
- (6) संबंधित समिति के समस्त अधिकारी/सदस्य
- (7) विभागीय सूचना पटल/कार्यालय की समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

E Mail ID principal_gnmohala@rediffmail.com

कालेज कोड- 1915

pho no. 07747249120

कमांक/391/एटी रैगिंग/2018

मोहला, दिनांक 30.08.2018

प्रति,

कुलसचिव,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2018-19 हेतु एंटी रैगिंग समिति गठित की सूचना बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 01/अ.छा.क./2018 दुर्ग दिनांक 13.06.2018

बैठक दिनांक - 29.08.2018 के परिपालन में महाविद्यालय में एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है समिति के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है।

क.	पदनाम	नाम
1	प्राचार्य- अध्यक्ष	डॉ.जी.के.जोशी (सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र)
2	सिविल प्रशासन के प्रतिनिधि	श्री सुरेन्द्र कुमार पैकरा (नायब तहसीलदार)
3	पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि	श्री शंकर लाल बर्वे (सहायक उप निरीक्षक)
4	स्थानीय मिडिया के प्रतिनिधि	श्री लक्ष्मीकांत सोनी
5	युवा गैर सरकारी के प्रतिनिधि	श्री संजीत ठाकुर
6	शैक्षणिक स्टॉफ के प्रतिनिधि	डॉ.सी.एस.राजपूत (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
7	पालक के प्रतिनिधि	श्री सुनील रजक
8	वरिष्ठ विद्यार्थी के प्रतिनिधि	श्री सौरभ कौर
9	नये विद्यार्थी के प्रतिनिधि	श्री भोजेन्द्र कुमार भारद्वाज
10	अशैक्षणिक स्टॉफ के प्रतिनिधि	श्री ए.के. रामटेके सहा.ग्रेड - 01

GK Joshi

प्र.प्राचार्य,

लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय

मोहला, जिला- राजनांदगांव(छ.ग.)

मोहला, दिनांक - 30.08.2108

पृ.क./ 392/एटी रैगिंग/2018

- प्रतिलिपि:-1. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण हेमचंद यादव वि.वि.दुर्ग
4. पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजनांदगांव/ अं./चौकी
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दण्डाधिकारी मोहला
6. थाना प्रभारी थाना मोहला
7. प्राचार्य, अग्रणी शास.दिविजय महाविद्यालय राजनांदगांव
8. संबंधित सदस्य
की ओर सूचनार्थ

GK Joshi

प्र.प्राचार्य,

लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय

मोहला, जिला- राजनांदगांव(छ.ग.)

// प्रेस विज्ञप्ति //

एण्टी रैगिंग के संबंध में दी जानकारी


स्थानीय : शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला में एण्टी रैगिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया । कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री बी कुर्रे ने एण्टी रैगिंग के विषय में जानकारी देकर शैक्षणिक स्थानों पर हो रहे रैगिंग को बताते हुए उसके दुष्परिणाम व कानूनी प्रावधानों की जानकारी छात्र-छात्राओं की दी। तत्पश्चात सहायक प्राध्यापक डॉ.जी.के.जोषी ने अपने विचारों में एण्टी रैगिंग को बताते हुए उससे बचने व रैगिंग होने पर शिकायत की सलाह दी।

उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं तथा महाविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे ।

प्रति,

दैनिक

मोहला


Principal

Govt. Naveen College
Mohla, Distt. Rajnandgaon

निः शुल्क विधिक सेवा व विधिक सलाह

(1) कौन-कौन व्यक्ति विधिक सेवा/विधिक सलाह पाने का हकदार :

1. वह व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2. वह व्यक्ति, जो मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित, बेगार सताया गया है,
3. स्त्री या बालक है,
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है,
5. वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु-विनाश, जातीय हिंसा, उ अत्याचार, बाढ़, सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया
6. कोई औद्योगिक कर्मकार है, या
7. अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मानसिक परि

अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

8. यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के स भारत का कोई भी नागरिक जिसकी समस्त स्रोतों से आय 50,000=00 रूप पचास हजार रुपये) से अधिक न हो, विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

(2) विधिक सेवा एवं सलाह किन-किन रूपों में प्राप्त की जा सकेगी :-

1. कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में देय समस्त खर्च।
2. कानूनी कार्यवाहियों में वकील उपलब्ध कराना।
3. कानूनी कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना।
4. कानूनी कार्यवाहियों में पेपर बुक तैयार करना, जिसमें दस्तावेजों, मुद्रण तथा अनुवाद के खर्च सम्मिलित है।
5. कानूनी दस्तावेजों का प्रारूपण कराना।
6. किसी कानूनी मामले में कानूनी सलाह देना।

(3) किन-किन न्यायालयों में विधिक सेवा दी जा सकती है :-

1. सभी प्रकार के न्यायालयों में विधिक सेवा दी जा सकती है।

अतः इच्छुक पात्र व्यक्ति अपना आवेदन तसहील स्तर पर अध्यक्ष, विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त न्यायालय स्तर पर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा को दे सकते हैं। विधिक हेतु आप जिले में (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) पदस्थ जिला विधिक अधिकारी से संपर्क करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राजनांदागांव

विधिक साक्षरता अभियान



रैगिंग ...

मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

इससे संस्था का अनुशासन भंग होता है।

दण्डनीय अपराध होने के कारण न्यायालय द्वारा दण्डनीय है।

अतः रैगिंग

न देखे, न करें

और रोकने में सहयोग दें।



संदेश

प्राचीन समय से शाला और महाविद्यालय, विद्या के मंदिर के रूप में जाने जाते रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नए-नए महाविद्यालय अस्तित्व में आ रहे हैं। प्रारंभ में विद्यार्थियों के बीच में सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार रहा करता था, जो धीरे-धीरे विकृत स्वरूप प्राप्त हुआ वर्तमान में विकराल स्वरूप में दर्शित हो रहा है, जिसकी परिणति कुछ छात्रों की मृत्यु के रूप में सामने आयी है, जिसे रैगिंग के नाम पर जाना जाता है। रैगिंग के बढ़ते हुए विकृत स्वरूप को देखते हुए एवं उसके दुष्परिणाम के आधार पर कानूनवेत्ताओं को इस संबंध में पृथक से कानून निर्मित करने की आवश्यकता हुयी जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 अस्तित्व में आया। इस पुस्तक में इसी अधिनियम को संक्षेप में दर्शाया गया है, साथ ही शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता एवं अन्य महत्वपूर्ण नियम भी समाहित किए गए हैं।

आशा है विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय के लिये यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजनादगांव

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैकिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001

क्रमांक 27 सन् 2001

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैकिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अध्यादेश।

भारत के गणतंत्र के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थिति है जिसमें त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की कंडिका (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, और विस्तार और प्रारंभ -

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 है।
- (2) इसका सम्पूर्ण विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएँ -

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) रैकिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिये उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग अवरोध या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या आपराधिक बल प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

(1)

(ख) शैक्षणिक संस्था में शासकीय, रचशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएँ शामिल हैं।

3. शैक्षणिक संस्थाओं का प्रतिबंध -

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

4. दण्ड -

यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 50000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय -

इस अधिनियम के संज्ञान किये जाने योग्य प्रत्येक अपराध संज्ञेय गैर जमानतीय होगा।

6. अपराधों का विचारण -

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये नियोज्यता -

(1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण लंबित होने पर शिक्षण संस्था का प्रधान इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावासों में प्रवेश से वर्जित कर सकेगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था को कोई छात्र, जो इस अध्यादेश के अधीन सिद्धदोष में पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन का भागी होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी भी शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(2)

शीर्ष पत्र

मैंने "छ.ग. शैक्षणिक संस्थान प्रताड़ना प्रतिच्छेद अधिनियम 3001"

"Directives of the Honourable Supreme Court On The Menace Of Ragging" तथा "छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी के लिये आचार संहिता" - का प्रतिपादन प्राप्त कर ली है। इन नियमों का मन पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा इसका क्रमशः पालन करूँगा। किसी भी अर्थाधिकृत गतिविधि में लिप्त होने पर उसका स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

छात्र का हस्ताक्षर	-
छात्र का नाम	-
दिनांक	-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता

सामान्य नियम -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इन नियमों का क्रमशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा. साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणोत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

2. महाविद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसादीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या अनेक अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

3. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विनम्र एवं शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेगा।

(3)

4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिकअध्ययन संबंधी नियम -
कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
5. महाविद्यालय तथा छात्रावास का साभागों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करना अपराध रहेगा।
6. महाविद्यालय में इधर-उधर शूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बर्तन लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक व्यक्तियों से संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आदालत, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा अन्यथा दण्ड का भागीदार होगा।
9. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा।
10. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
11. छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छात्रिसगढ़ शैक्षणिक संस्थान प्रताडन प्रतिबंध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक का कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों को दण्डित किया जा सकता है।
12. विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
13. विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन के तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा एवं इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4)

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे याचिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
 2. "विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।
 3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
 4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह शिक्षकों अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
 5. व्याख्यान कक्षा, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंचे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रीक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डान्तक आचरण माना जायेगा।
- परीक्षा संबंधी नियम :-**
1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाला सभी परीक्षाओं, Viva & Test में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
 2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी चिकित्सक से जाकर सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वास्थ्य हाने के उपरांत परीक्षा देगा।
 3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने देने विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

(5)



कानूनी साक्षरता, हटाये दुर्बलता
From Ignorance to Legal Empowerment

विधिक सेवा आन लाईन, फोन : 07744-227441

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Email.principal_gncmohla@rediffmail.com

फोनं.07747-249120

कमांक/485 /2015
प्रति,

मोहला,दिनांक 07/10/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक सी-30 द्वितीय/तृतीय तल इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 (2013 की संख्या 14 का क्रियान्वयन एवं प्रतिवेदनों का प्रेषण।)

संदर्भ :- संयुक्त संचालक का पत्र कमांक/444/138/आउशि/समन्वय/2015
नया रायपुर, दिनांक 05/10/2015

—00—

विषयांतर्गत लेख है, कि इस महाविद्यालय में संदर्भित पत्र के परिपालन में महिला लैगिक उत्पीड़न निवारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसकी जानकारी आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

o/c

राजगांव (छ.ग.)
249120

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Email.principal_gncmohla@rediffmail.com

फोनं.07747-249120

कमांक/ 481 /2015

मोहला,दिनांक 07 /10/2015

//आदेश//

सचिव छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक/194/दिनांक 01/08/2015 एवं अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक/3653/3854/2014/38-1 दिनांक 14/09/2014 तथा संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र कमांक/444/138/आउशि के परिपालन में महिला लैंगिंग उत्पीड़न निवारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	नामांकित सदस्य
1	डॉ.श्रीमती बी.एन.मेश्राम (प्राचार्य)	संयोजक/अध्यक्ष
2	डॉ.जी.पी.जायसवाल (सहा.प्राध्या.)	प्रभारी अधिकारी
3	डॉ.जी.के.जोशी (सहा.प्राध्या.)	सदस्य
4	श्री टी.एल.मिर्ज़ा (सहा.प्राध्या.)	सदस्य
5	श्रीमती सुरेखा मंडावी (समाजसेवी)	सदस्य
6	कृ. रूखमणी साहू (अतिथि व्याख्या.)	सदस्य

प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.कमांक/482/2015

मोहला,दिनांक 07/10/2015

प्रतिलिपि :-

- (1) अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
- (2) संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
- (3) कलेक्टर राजनांदगांव
- (4) प्राचार्य (अग्रणी) शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव
- (5) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजनांदगांव
- (6) संबंधित समिति के समस्त अधिकारी/सदस्य
- (7) विभागीय सूचना पटल/कार्यालय की समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

o/c






कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्टर परिसर राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491441
दूरभाष नं. : 07744-225188 फैक्स नं. : 07744-225188 E-mail - dpowcdrajn@gmail.com

कमांक / ५७ / मवावि / 2019-20
प्रति,

सर्व विभाग प्रमुख

प्राचार्य, शास. दिग्विजय महा., राजनांदगांव



Priority
12

विषय :- लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत बनाये गये आंतरिक कमेटी के गठन के वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विषयक।
संदर्भ :- सचिव छोगो शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र कमांक 06-04/06/मवावि/50 दिनांक 19.12.2013।

—000—

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 बनाया गया है जो कि 09 दिसम्बर 2013 से प्रभावशील है। अधिनियम में दिए गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक कार्यालय में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, आंतरिक शिकायत समिति गठन किया जाना है तथा उक्त समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

आप अवगत हो कि नियमानुसार समिति का गठन न किये जाने पर नियोक्ता को रुपये 50000.00 तक के जुर्माने का प्रावधान है एतद् आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के तारतम्य में नियमानुसार समिति का गठन कर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं सभी विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ संचालित समस्त कार्यालयों की जानकारी दी जावे।

संकलन:- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र

कलेक्टर
राजनांदगांव

पृ.कं. / ५८ / मवावि / 2019-20
प्रतिलिपी:-

राजनांदगांव, दिनांक: १ / 04 / 2019

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ कृपया सभी विभागों की जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करें।

समाप्त प्राचार्य,
राजनांदगांव जिला

उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध है, ताकि जिला स्तर पर जानकारी दी जा सके।
इस कार्य की जानकारी आदिवासी: 15-4-2019 तक
अज्ञेय

कलेक्टर
राजनांदगांव

H.C.
मी. रामेश्वर जी
राजनांदगांव
15-4-19

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजनोदगोव के पत्र क्रमांक/1017/म.वि/2018-19 तथा प्रचारि अग्रणी शा. दिग्विजय महाविद्यालय राजनोदगोव के पत्र दिनांक 02-01-2019 के परिपालन में आज दिनांक 02-01-2019 कोपहल 4:00 को महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण पकोठ समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी / छात्राओं से उत्पीड़न संबंधी किन्तु पर चर्चा की गई। आज दिनांक 02-01-2019 को शिकायत में विली भी कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी / छात्राओं द्वारा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में उपस्थित समिति सदस्य कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी / छात्राओं के द्वारा नीचे अंकित हैं-
















- | नाम | |
|---------------------------|------------|
| 1) श्री मती योतिमा साहु | - Yodima |
| 2) सविता खेरस | - Savita |
| 3) कु. कौशल्या बांधे | - K.G. |
| 4) कौकिल्या गौजूर | - Kaila |
| 5) लोके रामरेके लहा.गोड-1 | - Lokar |
| 6) वी. कुं | - B.K.P. |
| 7) हेमलता | - Hemlata |
| 8) जानकी भठानी | - Jankee |
| 9) चान्दिका नेताम | - Chandika |

G.K. Joshi, 1-19
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mohla,
Distt. Rajnandgaon (C.G.)

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 10.11.2020 को महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न शिकारित निवारण प्रकोष्ठ समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महाविद्यालय के समस्त महिला आर्थिकारी / कर्मचारी एवं छात्राओं से महिला उत्पीड़न संबंधी बि-दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई वरन् सत्र 2019-20 में महाविद्यालय में कार्यरत महिला आर्थिकारी / कर्मचारी / छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्य कार्यरत महिला आर्थिकारी / कर्मचारी छात्राओं के हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं।

नाम:

- 1 श्री बी. सुरें 
- 2 श्रीमती योनिमा साहू 
- 3 कु. आर. लोकरुद 
- 4 श्रीमती संतोषी सोदी 
- 5 श्री ए. के. वर्मा 
- 6 श्री प्रबल नेताम 
- 7 डॉ. जी. के. जी. श्री 
- 8 तोरनलाल 
- 9 श्री जी. रमणवर्मा 
- 10 गिरजा 
- 11 कंचन 
- 12 दुर्गेश्वरी 
- 13 कु. ज्योती 
- 14 कु. लिखा 
- 15 शोपती 

16	श्रीमा	श्रीमा
17	जिनेश्वरी	जिनेश्वरी
18	दुर्गेश्वरी	De
19	राजकुमारी	Rajkumari
20	रोशनी	Roshani
21	दिव्या	Divya
22	धामिनी	Dhamini
23	पिंगला	Pingla
24	भामिनी	Bhamini
25	डी	Deency
26	प्रल्हा	Prulha
27	कुलपत्नी	Kulapati
28	लीलेश्वरी	Lilleshwari
29	सुति	Suti
30	केशरी	Keshari

GKToshi

प्राचार्य
स्व.लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला
जिला मोहला - मानपुर - अं. चौकी (उ.प्र.)

मिनाई-राजनाथगढ़, शुक्रवार 17 नवंबर, 2017 | 16

कॉलेज की छात्राओं को महिला उत्पीड़न से बचने बताए उपाय



मोहला. शासकीय नवीन कॉलेज में हुए जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं।

मोहला|शासकीय नवीन कॉलेज मोहला में विगत दिनों महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डा. सी एस राजपूत ने अपने महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के कारणों का उल्लेख करते हुए उससे बचने के उपायों का छात्र-छात्राओं को बताया। इसके बाद

कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. जीके जोशी, बी कुरें ने भी अपने छात्रों को महिला उत्पीड़न से बचाव के तरीकों की जानकारी दिए। इस दौरान छात्रों ने महिला पर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए नारे लगाकर लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारी, छात्र उपस्थित थे। संचालन अनवर खान ने किया।